न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 90 / 2023

अनवान : –

1. वेद प्रकाश पुत्र श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेश कुमार पुत्र श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण हाल निवासी गांधी नगर बीएसएनएल ऑफिस के पिछे नोहर तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कलावती पत्नी श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 191 / 194 के पत्थर नम्बर 315 / 434 मुन० 23 के किला नम्बर 5 / 1 को 0.0280 है० गैरमुमकिन रास्ता व किला नम्बर 5 / 2 की 0.2200 है० 6 की 0.2530 हैक्ट भूमि पत्थर नम्बर 316 / 433 मु0न0 नम्बर 17 की 0.2530 है० किला नम्बर 23 की 0.2530 है० व किला नम्बर 24 की 0.2530 है० पत्थर नम्बर 318 / 434 मुन0 22 के किला नम्बर 1 / 1 की 0.0280 है० गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 1 / 2 की 0.2280 हैक्ट. 2 / 1 की 0.0250 है० गैर मुमकिन रास्ता किला नम्बर 2 / 2 की 0.2290 है० व किला नम्बर 3 / 1 की 0.0250 है० गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 3 / 2 की 0.2280 है० 0 4 / 1 की 0.0250 है० गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 3 / 2 की 0.2280 है० व किला नम्बर 4 / 1 की 0. 0250 है० गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 4 / 2 की 0.2280 है० 8 की 0.2530 है० किला नम्बर 9 की 0.2530 है० व किला नम्बर 10 कि 0.2530 है० कुल तादादी 3.2880 है। भूमि सायल व गैर सायलान न0। ता 3 की मुस्तरका खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि सायल व गैरसायलान नम[illegible] 3 मुताबिक कब्जा अलग–अलग काश्त करते आ रहे है तथ उक्त भूमि [illegible] व गैरसायलान नम्बर 1 ता 3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पिता श्रीशिवभगवान पुत्र डुगरमल ने अपने जीवनकाल में ही दे दी थी तथा उसी मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा सींव डोल कायम की हुई है।

रोही मौजा चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता संख्या 151/128 के पत्थर नम्बर 333/431 संख्या मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/1 की 0.0250 है० गैर मुमकिन रास्ता, किला नम्बर 1/2 की 0. 2280 है० भूमि, किला नम्बर 2/1 की 0.0250 है० गैर मुमकिन रास्ता, किला नम्बर 2/2 की 0.2280 है० व किला नम्बर 3/1 की 0.0250 है० गैर सुभकिन रास्ता, किला नम्बर 3/2 की 0.2280 है० भूमि, किला नम्बर 4/1 की 0.0200 है० गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 4/2 की 0.2270 है० व किला नम्बर 5/1 की 0. 0250 है० गैर मुभकिन रास्ता किला नम्बर 5/2 की 0.0830 है० किला पथ्थर 5/4 की 0.1070 है० किला नम्बर 7/1 की 0.0380 है० भूमि किला नम्बर 7/2 की ०. 1070 है० किला नम्बर 7/3 की 0.1080 है० किला नम्बर 8 की 0.2530 है०, किला नम्बर 9 की 0.2530 है०, किला नम्बर 10 की 0.02530 है।, किला नम्बर 11 की 0 2530 है०, किला नम्बर 12 की 0.2530 है०, किला नम्बर 13/1 की 0.0380 है किला नम्बर 14 को 0.2530 है०, किला नम्बर 15 की 0.2530 है। किला पम्बर 18 की 0.2530 है०, किला नम्बर 19/1 की 0.0380 है० भूमि किला नम्बर 19/2 की 0.1070 है० भूमि, किला नम्बर 20 की 0.2530 है० पत्थर नम्बर 335/425 मु0न0 5 के किला नम्बर 11 की 0.0510 है०, किला नम्बर 12 की 0.0630 है०, किला नम्बर 13 की 0.0760 है०, किला नम्बर 18 की 0. 2530 है०, किला नम्बर 19 की 0.2530 है0, 20 की 0.2530 है०, किला नम्बर 22/2 की 0.0630 है०, किला नम्बर 23/2 की 0.0630 है० कुल तादादी 5.6290 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में साय व गैरसायलान नम्बर 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खातेदारी भूमि दर्ज है उपरोक्त आराजी जरई वाके रोही मौजा चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता संख्या 151/125 कुल तादादी 5.6290 है। उक्त भूमि सायल व गैरसायलान नम्बर 1 ता 4 के पिता पति श्री शिवभगवान पुत्र डुगरमल ने अपने जीवनकाल में ही दे दी थी तथा उक्त भूमि में से 4 बिघा नोहर हिसार दिल्ली हाईवे रोड पर स्थित है उसी मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा सीव डोल कायम की हुई है।

सायल व गैरसायलान की उक्त वादग्रस्त भूमि केवल राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज है मगर मौका पर मुताबिक कब्जा काश्त कर अलग–अलग काश्त करते आ रहे है तथा वादी सायलान अपने हिस्से में आई कब्जा कास्त की भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाया है तथा गैरसायलान नम्बर 2 ता 4 ने भी अपने हिस्से की कब्जा कास्त पारिवारिक बंटवारा में आई भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाने में काफी खर्चा किया है मगर उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौका पर स्थिति के खिलाफ मुश्तरका राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक गंटवारा मौका कब्जा अनुसार अलग–अलग सीव [illegible] है मगर अब गैरसायलान के लालच आ गया है इसलिये सायल व [illegible] में काश्त, लगान, सीव व सिंचाई आदि को लेकर तनाजात रहने लग गया है जिससे सायल अपना खाता व लगान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान से मौका पर कब्जा के अनुसार अलग–अलग तस्दीक करवाकर अलग–अलग खाता कायम करा अलग–अलग मुताबिक बंटवारा कब्जा का कन्फर्म करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि मौका की स्थिति के खिलाफ राजस्व रिकार्ड में मुस्तरका गलत दर्ज होने से सायल अपने पूर्व पारिवारिक बंटवारा अनुसार सुधार कर उपजाऊ बनाया हैं भूमि का बिना विभाजन करवाये गैरसायलान लालचवश किसी खतरनाक गिरोह को फरोख्त करने की योजना बना रहा है जिससे सायल का उसकी सुधार कर उर्वरा शक्ति को अपने मेहनत के बल पर सुधार की भूमि में किसी अजनबी व्यक्ति को प्रवेश करवाने की गलत मन्शा गैरसायलान ने पाल रखी है जिससे सायल को गैरसायलान का उपरोक्त मकसद पुरा होने से अपूर्णीय क्षति होगी अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व लगान अलग न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रोही 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के खाता स0 191/194 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 151/125 की कुल 5.6290 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक चक 13 एनटीआर के खाता स0 100/93 की कुल 2.2770 हैक्ट व खाता स0 101/94 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका [illegible] हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से [illegible] का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया [illegible] रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 18.05.2023 व दिनांक 03.08.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:36 IST
Reason: SelfAttested